धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार

पाठ का सारांश– भारत एक विशाल देश है। यहाँ कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। कई लोग अपना पैदाइशी धर्म छोड़कर कुछ कारणों से अन्य धर्म को अपना लेते हैं। यही कारण है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने लोगों की धार्मिक मान्यताओं और उनका समान रूप से आदर करने के लिए धर्मनिरपेक्षता को एक मूल्य माना ।

धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता:- हमारे देश में विश्व के आठ प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ये हैं- हिन्दू, इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और यहूदी । सभी धर्म के लोगों के हितों और भावनाओं की रक्षा करने और किसी एक धर्म का प्रभुत्व न हो पाने के लिए भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया था।

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ:- हमारे संविधान ने यह सुनिश्चित कर रखा है कि देश की कोई भी सरकार चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार किसी भी धर्म को प्रश्रय नहीं देगी ताकि कोई एक धर्म अपना प्रभुत्व अन्य धर्मों पर नहीं लाद पाए । देश के सभी धर्मों को मानने वाले लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं, विचारों और विश्वासों को आजादी से अपनाएँ और इस मामले में राज्य सरकारें किसी प्रकार का कोई दखल नहीं देंगी। हाँ, कई धर्मों में कुछ ऐसे रीति-रिवाज या प्रथाएँ होती हैं जो अमानवीय होती हैं और जिनके प्रयोग से अन्य समुदाय या राष्ट्र को यदि संकट उत्पन्न हो, तब राज्य सरकारें तटस्थ नहीं रहेगी और इनके खिलाफ ठोस कदम उठायेंगी ताकि राज्य में हर धर्म के लोग शांति से रह सकें और समाज सुरक्षित रहे।

भारत में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य रूप से लागू करने के उपाय:-भारत में धर्मनिरपेक्षता को सिर्फ सिद्धांत के रूप में ही स्वीकार नहीं किया गया है बल्कि इसे व्यावहारिक रूप देने की कोशिशें भी की गयी हैं।
इन कोशिशों में शामिल हैं-
मौलिक अधिकार—ये अधिकार किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए और मानसिक-शारीरिक रूप से एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर, आजाद जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में दिए गए हैं। इन्हें 6 भागों में बाँटा गया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार निम्नलिखित हैं-

1. समानता का अधिकार कानून की नजर में राज्य का प्रत्येक व्यक्ति एक समान है।
2. स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक नागरिक अभिव्यक्ति, भाषण, संगठन बनाने, देश के किसी भी भाग में जाकर रहने, व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है।
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार-मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराना अपराध है।
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार-कोई नागरिक स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना सकता है, उसका प्रचार-प्रसार कर सकता है।
5. सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार-धार्मिक या भाषाई, सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने-अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं।
6. संवैधानिक उपचार का अधिकार :-राज्य द्वारा यदि किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता हो, तो वह इस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है।

https://www.evidyarthi.in/

मौलिक अधिकारों द्वारा धर्मनिरपेक्षता को व्यावहारिक रूप देने की कोशिश:- समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और खासतौर पर अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक व शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदान कर संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को मजबूत कर व्यावहारिक रूप दिया है।

समता का मौलिक अधिकार व धर्मनिरपेक्षता:- सविधान में कानून गया सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया है। कानून की नजर में छोटा, बड़ा, गरीब, अमीर सभी समान हैं।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार व धर्मनिरपेक्षता–भारतीय संविधान ने हर एक व्यक्ति को अपने अंतरात्मा की आवाज से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान की है । पर, सरकार किसी धर्म को न तो बढ़ावा दे सकती है और न ही किसी धर्म को कमजोर कर सकती है।

अल्पसंख्यकों की संस्कृति व शिक्षा सम्बन्धी अधिकार व धर्मनिरपेक्षता:- हमारे संविधान ने अल्पसंख्यक समूहों को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा करने के लिए शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित करने और उन्हें चलाने की स्वतंत्रता दी है। देश में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए सन् 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया

https://www.evidyarthi.in/